

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
(Central Board of Direct Taxes)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14<sup>th</sup> September, 2018

**S.O.....(E).**- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Kandla Special Economic Zone Authority', Kutch, an authority constituted by the Central Government, respect of the following specified income arising to that authority, namely:-

- (a) Lease rent (charged as per Government prescribed rate) including interest and penalty;
- (b) Receipts from I-Card and permit fees/ gate pass;
- (c) Auction/Bid amount in respect of Plots/Buildings which fall vacant;
- (d) Transfer charges in respect of Plot/Building;
- (e) Processing fee for approval of Building Plans;
- (f) Site Usage charges from Service providers including user charges & water charges (including interest and penalty thereon);
- (g) License fee for Staff Quarters; and
- (h) Interest accrued on (a) to (g) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Kandla Special Economic Zone Authority, Kutch,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2018-2019, and shall apply with respect to the assessment years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.

[Notification No. 47/2018, F.No.300196/35/2017-ITA-I]

*V.S. Gautam*

(Vinay Sheel Gautam)

Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri Press,  
New Delhi.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2018

का. आ... (अ) -आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कच्छ जो केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) ब्याज और शास्ति सहित लीज रेंट (सरकारी निर्धारित दर के अनुसार प्रभार्य);
- (ख) पहचान पत्र और परमिट शुल्क/गेट पास से होने वाली प्राप्ति;
- (ग) खाली प्लॉट/विल्डिंग के संबंध में बोली/बोली धनराशि;
- (घ) प्लॉट/विल्डिंग के संबंध में अंतरण प्रभार्य;
- (ङ) विल्डिंग प्लान के अनुमोदन के संबंध में प्रोसेसिंग शुल्क;
- (च) प्रयोक्ता प्रभार और जल प्रभार सहित सेवा प्रदाताओं से साइट उपयोगिता प्रभार ( इस पर लगने वाले ब्याज और शास्ति सहित)
- (छ) स्टॉफ क्वार्टरों के लिए लाइसेंस शुल्क; और
- (ज) उपर्युक्त (क) से (छ) पर उद्भूत ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अद्यधीन प्रभावी होगी कि 'कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कच्छ'-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए लागू होगी।

(अधिसूचना सं. 47/2018 फा. सं. 300196/35/2017-आईटीए-1)

विनय शील गौतम

(विनय शील गौतम)  
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
मायापुरी, नई दिल्ली.